न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
49/2019	प्रा0पत्र 136 RLRA	02.12.2019	03.01.2020

गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. पैरोकार राज अनुपस्थित।

आदेश

प्रार्थी गोविन्द शर्मा की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 27.04.2012 से खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 197, 260, 271, 483/267 तादादी क्रमशः 0.8600, 0.8853, 2.9845, 0.5185 हैक्टेयर कुल तादादी 5.2483 हैक्टेयर रोही ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया तहसील चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा एकल खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विक्रय पत्र प्रार्थी ने अपने सही एवं दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा के नाम से पंजीकृत करवाया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश इन्तकाल संख्या 442 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद दर्ज कर दिया जो राजस्व रिकार्ड में आज भी गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश की गई गलती से प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी को उक्त अशुद्धि का पता चलने पर उसने अप्रार्थी को विक्रय पत्र एवं प्रार्थी के दस्तावेजों के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। इसलिए प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही व दस्तावेजी नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 197, 260, 271, 483/267 तादादी क्रमशः 0.8600, 0.8853, 2.9845, 0.5185 हैक्टेयर कुल तादादी 5.2483 हैक्टेयर रोही ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया तहसील चूरू में प्रार्थी के गलत दर्ज नाम गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर सही एवं दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर विधिवत तामील के बावजूद भी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज अनुपस्थित रहे। प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया के नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 21.05.12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए बहस का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 197, 260, 271, 483/267 तादादी क्रमशः 0.8600, 0.8853, 2.9845, 0.5185 हैक्टेयर कुल तादादी 5.2483 हैक्टेयर अवस्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद अंकित चला आ रहा है जबकि प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की है तथा उक्त विक्रय पत्र में मेरा सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा सही अंकित था एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज इन्तकाल संख्या 442 में भी सही नाम दर्ज हुआ था परन्तु जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी खातेदार का नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद के स्थान पर गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद अंकित हो गया है जो आज भी चला आ रहा है। उक्त अशुद्धि के कारण प्रार्थी को राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने एवं खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. आदि सुविधाओं का लाभ लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल से हुई है। इसलिए उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् में भी प्रार्थी का नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा अंकित करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 30, जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 94 ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया, विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2012, नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 21.05.12, आधार कार्ड संख्या 545934263549 एवं शपथ पत्र प्रार्थी दिनांक 03.01.2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया के ख.नं. 197, 260, 271, 483/267 कुल तादादी 20.15 हैक्टेयर में पूर्व खातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र लालचन्द खातेदार दर्ज है तथा अन्तरण के कॉलम में नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 21.05.2012 का नोट दर्ज है जिसमें बेचान से उक्त भूमि में गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद की खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में भी प्रार्थी का नाम गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2012 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा द्वारा पूर्व खातेदार राजेन्द्रसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गई है जिसमें प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम गोविन्द शर्मा अंकित है। आधार कार्ड संख्या 545934263549 में भी प्रार्थी का नाम गोविन्द शर्मा अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 442 ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया के

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अवलोकन से जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 27.04.12 के आधार पर दर्ज प्रविष्टियों में प्रार्थी का सही नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा दर्ज किया गया है। जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि में विक्रय पत्र से दर्ज नामान्तरकरण मे तो प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम दर्ज हुआ है परन्तु कम्प्यूरीकृत जमाबन्दी में नोट अंकित करते समय सहवन से प्रार्थी का नाम गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा के स्थान पर गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद अंकित कर दिया गया जिससे आगामी वर्ष की जमाबन्दी में भी उक्त गलत अंकित नोट के अनुसार ही प्रार्थी का नाम गोविन्द शर्मा के बजाय गोविन्दप्रसाद दर्ज कर दिया गया जो आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त त्रुटि सहवन से होना प्रमाणित होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में ही आती है जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। साथ ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी प्रार्थी ने सशपथ बयान किया है कि उक्त कृषि भूमि बाबत किसी प्रकार का ऋण या कोई लेनदेन बकाया नहीं है। ना ही उक्त कृषि भूमि बाबत कोई राजस्व वाद, विवाद किसी भी भारतीय न्यायालय में जेरकार नहीं है। यदि इस भूमि बाबत भविष्य में किसी भी प्रकार का रहन, बैय, मुन्तकिल, वाद, विवाद आदि पाया जाता है तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई सूचना गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों में कवर होता है तथा स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 197, 260, 271, 483/267 तादादी क्रमशः 0.8600, 0.8853, 2.9845, 0.5185 हैक्टेयर कुल तादादी 5.2483 हैक्टेयर रोही ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया तहसील चूरू के राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार का नाम गोविन्दप्रसाद पुत्र महावीरप्रसाद जाति ब्राह्मण सा. मैन मार्केट डूंगला तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ के स्थान पर गोविन्द शर्मा पुत्र महावीरप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण सा. मैन मार्केट डूंगला तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू